भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 607

उत्तर देने की तारीख : 25.07.2024

पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

607. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री गणेश सिंह:
श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:
श्री लुम्बा राम:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री प्रदीप पुरोहित:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री अनिल फिरोजिया :
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्रीमती कृति देव देबबर्मन:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014 से देश में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या और वर्ष 2013 में मौजूद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष – वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने के लिए कौन–कौन सी योजनाएं और पैकेज आरम्भ किए गए हैं; और

(ग) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान के पाली और जोधपुर जिलों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कितनी वित्तीय सहायता और राजसहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क): एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड के साथ दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की गई। ओडिशा राज्य सहित उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा वर्ष-वार संख्या अनुबंध-। के रूप में संलग्न है।

(ख): भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, देश में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), खरीद और विपणन सहायत स्कीम (पीएमएसएस), एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) और एमएसएमई चैंपियंस स्कीम आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इनमें से कुछ पहलें निम्नानुसार हैं:

i. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के ऋण के लिए 85% तक के गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रुपए (01.04.23 से प्रभावी) की सीमा तक कोलेटरल मुक्त ऋण।

ii. आत्म निर्भर भारत फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के लिए प्रावधान है।

iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।

iv. व्यवसाय की सुगमता के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई का पंजीकरण।

v. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

vi. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

vii. एमएसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन की स्थिति में 3 वर्षों के लिए गैर-कर का लाभ प्रदान किया गया है।

viii. अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

ix. श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल का एकीकरण। पंजीकृत एमएसएमई को प्रशिक्षित श्रमशक्ति और उनकी क्षमता निर्माण तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाया गया है।

x. विवाद से विश्वास-I के तहत, कटौती की गई कार्यनिष्पादन सुरक्षा, निविदा सुरक्षा और नुकसानी की प्रतिपूर्ति का 95% वापस करके राहत प्रदान की गई है। अनुबंधों की अनुपालना में चूक होने के कारण प्रतिबंधित एमएसएमई को भी राहत प्रदान की गई है।

xi. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के तहत दिए जाने वाले लाभों का फायदा प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई है।

xii. 18 व्यापारों में कार्यरत परम्परागत कारीगरों और शिल्पकारों को आद्योपांत समग्र लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत की गई है।

(ग): सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राजस्थान के पाली और जोधपुर जिले के एमएसएमई को प्रदान की गई वित्तीय सहायता और सब्सिडी निम्नानुसार है:

खरीद और विपणन सहायता स्कीमों के अंतर्गत व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में प्रत्येक एमएसई की सहभागिता के लिए उसे मेट्रो और ए श्रेणी के शहरों के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए और अन्य शहरों के लिए 0.80 लाख रुपए तक अधिकतम बजटीय सहायता का लाभ प्रदान किया जाता है।

वर्ष	पाली	जोधपुर	प्रदान किए गए लाभ/सब्सिडी
2021-22	0	4	इन सभी इकाइयों को पीएमएस स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की गई थी
2022-23	2	72	
2023-24	3	86	

सीजीटीएमएसई के अंतर्गत अनुमोदित गारंटियों का विवरण निम्नानुसार है: :

		वित्त वर्ष 2021-22		**वित्त वर्ष 2022-23**		**वित्त वर्ष 2023-24**	
क्र.सं.	**जिला**	सं.	राशि करोड़ रुपए में	सं.	राशि करोड़ रुपए में	सं.	राशि करोड़ रुपए में
1	जोधपुर	2470	225.46	4509	391.75	6555	770.64
2	पाली	706	34.86	1746	102.62	1435	198.30
	कुल	**3176**	**260.32**	**6255**	**494.37**	**7990**	**968.94**

पाली जिला के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता:

वित्त वर्ष	सहायता प्रदान की गई इकाइयों की संख्या	सृजित रोजगार	मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए में)
वित्त वर्ष 2021-22	41	328	159.36
वित्त वर्ष 2022-23	18	144	84.29
वित्त वर्ष 2023-24	22	176	185.31

जोधपुर जिला के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता

वित्त वर्ष	सहायता प्रदान की गई इकाइयों की संख्या	सृजित रोजगार	मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रुपए में)
वित्त वर्ष 2021-22	208	1,664	1,425.26
वित्त वर्ष 2022-23	238	1,904	2,579.21
वित्त वर्ष 2023-24	182	1,456	2,118.98

****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 607, जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एमएसएमई की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

वित्त वर्ष 2020-21(01/07/2020 - 31/03/2021)					
क्र.सं.	राज्य	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,749	56	7	1,812
2	आंध्र प्रदेश	57,800	6,296	971	65,067
3	अरूणाचल प्रदेश	662	53	11	726
4	असम	15,385	1,552	234	17,171
5	बिहार	87,727	1,898	254	89,879
6	चंडीगढ़	4,967	663	120	5,750
7	छत्तीसगढ़	29,742	2,622	541	32,905
8	दिल्ली	74,343	12,662	2,370	89,375
9	गोवा	5,345	594	79	6,018
10	गुजरात	210,501	29,777	4,967	245,245
11	हरियाणा	88,643	12,185	1,940	102,768
12	हिमाचल प्रदेश	11,435	1,056	269	12,760
13	जम्मू और कश्मीर	24,927	1,354	141	26,422
14	झारखंड	40,554	2,121	296	42,971
15	कर्नाटक	137,822	11,978	2,017	151,817
16	केरल	65,231	5,741	724	71,696
17	लद्दाख	699	31	-	730
18	लक्षदीप	39	-	-	39
19	मध्य प्रदेश	102,417	8,039	1,034	111,490
20	महाराष्ट्र	603,694	35,206	6,200	645,100
21	मणिपुर	10,236	129	11	10,376
22	मेघालय	620	60	18	698
23	मिजोरम	1,097	17	2	1,116
24	नागालैंड	687	22	4	713
25	ओडिशा	45,493	3,378	469	49,340
26	पुडुचेरी	3,527	272	55	3,854
27	पंजाब	90,291	9,198	1,371	100,860
28	राजस्थान	217,897	15,046	2,002	234,945
29	सिक्किम	323	20	4	347
30	तमिलनाडु	287,705	20,700	2,882	311,287
31	तेलंगाना	87,102	8,635	1,660	97,397
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2,353	545	154	3,052
33	त्रिपुरा	1,564	101	11	1,676
34	उत्तर प्रदेश	202,187	13,299	1,951	217,437
35	उत्तराखंड	20,678	1,623	277	22,578
36	पश्चिम बंगाल	53,441	8,167	1,454	63,062
कुल:-		**2,588,883**	**215,096**	**34,500**	**2,838,479**

वित्त वर्ष 2021-22					
क्र.सं.	राज्य	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,813	115	5	2,933
2	आंध्र प्रदेश	137,937	8,667	560	147,164
3	अरूणाचल प्रदेश	2,157	89	11	2,257
4	असम	68,474	3,440	299	72,213
5	बिहार	213,236	7,056	401	220,693
6	चंड़ीगढ़	8,763	699	57	9,519
7	छत्तीसगढ़	63,856	4,276	426	68,558
8	दिल्ली	119,681	13,332	1,535	134,548
9	गोवा	8,086	477	32	8,595
10	गुजरात	368,089	26,201	2,115	396,405
11	हरियाणा	166,831	11,701	815	179,347
12	हिमाचल प्रदेश	25,487	1,230	93	26,810
13	जम्मू और कश्मीर	72,866	1,443	77	74,386
14	झारखंड	79,531	3,198	229	82,958
15	कर्नाटक	296,849	15,983	1,375	314,207
16	केरल	110,652	6,548	430	117,630
17	लद्दाख	2,244	53	2	2,299
18	लक्षदीप	206	1	-	207
19	मध्य प्रदेश	234,796	10,154	676	245,626
20	महाराष्ट्र	932,684	34,975	3,502	971,161
21	मणिपुर	13,464	228	11	13,703
22	मेघालय	2,064	146	16	2,226
23	मिजोरम	3,462	71	2	3,535
24	नागालैंड	3,229	78	8	3,315
25	ओडिशा	100,402	5,039	372	105,813
26	पुडुचेरी	7,813	359	37	8,209
27	पंजाब	173,259	8,916	651	182,826
28	राजस्थान	377,296	14,033	842	392,171
29	सिक्किम	1,703	64	7	1,774
30	तमिलनाडु	517,192	21,537	1,463	540,192
31	तेलंगाना	151,535	8,867	800	161,202
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3,733	376	46	4,155
33	त्रिपुरा	6,350	329	22	6,701
34	उत्तर प्रदेश	392,022	19,893	1,537	413,452
35	उत्तराखंड	47,171	2,295	159	49,625
36	पश्चिम बंगाल	157,185	11,676	978	169,839
कुल:-		**4,873,118**	**243,545**	**19,591**	**5,136,254**

वित्त वर्ष 2022-23					
क्र.सं.	राज्य	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,803	70	-	3,873
2	आंध्र प्रदेश	239,790	5,437	251	245,478
3	अरूणाचल प्रदेश	6,836	113	2	6,951
4	असम	130,908	2,446	93	133,447
5	बिहार	316,563	6,026	187	322,776
6	चंड़ीगढ़	9,795	301	14	10,110
7	छत्तीसगढ़	105,384	2,876	185	108,445
8	दिल्ली	170,148	8,054	599	178,801
9	गोवा	15,129	332	23	15,484
10	गुजरात	506,626	14,001	811	521,438
11	हरियाणा	230,626	5,814	303	236,743
12	हिमाचल प्रदेश	46,164	908	48	47,120
13	जम्मू और कश्मीर	102,684	1,151	56	103,891
14	झारखंड	140,047	2,113	69	142,229
15	कर्नाटक	412,054	10,071	548	422,673
16	केरल	176,558	3,665	178	180,401
17	लद्दाख	3,185	21	1	3,207
18	लक्षदीप	334	-	-	334
19	मध्य प्रदेश	837,320	6,417	256	843,993
20	महाराष्ट्र	1,194,455	19,096	1,365	1,214,916
21	मणिपुर	21,042	175	7	21,224
22	मेघालय	6,525	137	12	6,674
23	मिजोरम	7,803	48	1	7,852
24	नागालैंड	7,217	79	4	7,300
25	ओडिशा	168,133	3,523	133	171,789
26	पुडुचेरी	11,351	173	20	11,544
27	पंजाब	264,875	4,796	254	269,925
28	राजस्थान	510,918	7,134	270	518,322
29	सिक्किम	3,097	49	4	3,150
30	तमिलनाडु	720,189	9,686	513	730,388
31	तेलंगाना	225,380	5,303	316	230,999
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4,837	223	26	5,086
33	त्रिपुरा	16,267	291	23	16,581
34	उत्तर प्रदेश	1,455,082	14,866	657	1,470,605
35	उत्तराखंड	71,806	1,271	47	73,124
36	पश्चिम बंगाल	270,070	8,247	383	278,700
कुल:-		**8,413,001**	**144,913**	**7,659**	**8,565,573**

**दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई*

वित्त वर्ष 2023-24					
क्र.सं.	राज्य	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,394	26	2	5,422
2	आंध्र प्रदेश	1,314,155	2,921	109	1,317,185
3	अरूणाचल प्रदेश	10,933	91	5	11,029
4	असम	401,721	1,636	67	403,424
5	बिहार	1,629,956	3,034	132	1,633,122
6	चंडीगढ़	22,173	234	13	22,420
7	छत्तीसगढ़	473,365	1,555	78	474,998
8	दिल्ली	413,835	5,136	354	419,325
9	गोवा	45,941	228	14	46,183
10	गुजरात	1,380,470	10,088	468	1,391,026
11	हरियाणा	515,242	3,206	155	518,603
12	हिमाचल प्रदेश	87,814	514	26	88,354
13	जम्मू और कश्मीर	291,639	1,026	56	292,721
14	झारखंड	613,420	1,051	43	614,514
15	कर्नाटक	1,533,065	5,714	289	1,539,068
16	केरल	621,046	2,045	95	623,186
17	लद्दाख	7,162	31	-	7,193
18	लक्षदीप	396	-	-	396
19	मध्य प्रदेश	1,369,434	3,705	207	1,373,346
20	महाराष्ट्र	2,722,114	12,215	833	2,735,162
21	मणिपुर	46,923	70	4	46,997
22	मेघालय	15,684	103	9	15,796
23	मिजोरम	16,402	59	4	16,465
24	नागालैंड	25,859	41	2	25,902
25	ओडिशा	1,042,224	2,063	82	1,044,369
26	पुडुचेरी	35,638	103	9	35,750
27	पंजाब	591,487	3,146	126	594,759
28	राजस्थान	1,130,046	4,395	187	1,134,628
29	सिक्किम	8,038	46	3	8,087
30	तमिलनाडु	1,768,023	5,616	326	1,773,965
31	तेलंगाना	1,020,069	3,397	211	1,023,677
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9,421	97	9	9,527
33	त्रिपुरा	168,411	201	11	168,623
34	उत्तर प्रदेश	2,509,806	10,327	465	2,520,598
35	उत्तराखंड	209,573	819	38	210,430
36	पश्चिम बंगाल	2,761,252	5,693	303	2,767,248
कुल:-		**24,818,131**	**90,632**	**4,735**	**24,913,498**

**दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई*

वित्त वर्ष 2024-25 (01/04/2024-24/07/2024)					
क्र.सं.	राज्य	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,311	5	-	1,316
2	आंध्र प्रदेश	222,547	657	37	223,241
3	अरूणाचल प्रदेश	2,141	16	5	2,162
4	असम	105,364	337	34	105,735
5	बिहार	252,220	579	26	252,825
6	चंडीगढ़	5,627	43	1	5,671
7	छत्तीसगढ़	116,289	339	22	116,650
8	दिल्ली	109,060	935	65	110,060
9	गोवा	8,743	36	6	8,785
10	गुजरात	324,979	1,470	83	326,532
11	हरियाणा	209,171	703	54	209,928
12	हिमाचल प्रदेश	32,282	110	6	32,398
13	जम्मू और कश्मीर	101,656	113	13	101,782
14	झारखंड	121,564	219	12	121,795
15	कर्नाटक	544,931	1,235	70	546,236
16	केरल	160,929	494	16	161,439
17	लद्दाख	1,602	7	-	1,609
18	लक्षदीप	121	-	-	121
19	मध्य प्रदेश	459,673	725	47	460,445
20	महाराष्ट्र	879,052	2,422	213	881,687
21	मणिपुर	9,258	32	3	9,293
22	मेघालय	4,654	27	2	4,683
23	मिजोरम	4,434	9	-	4,443
24	नागालैंड	5,575	12	-	5,587
25	ओडिशा	186,809	397	24	187,230
26	पुडुचेरी	10,729	22	4	10,755
27	पंजाब	238,516	547	33	239,096
28	राजस्थान	399,458	967	65	400,490
29	सिक्किम	2,992	6	-	2,998
30	तमिलनाडु	555,811	1,097	69	556,977
31	तेलंगाना	228,790	804	70	229,664
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2,115	21	2	2,138
33	त्रिपुरा	19,765	34	2	19,801
34	उत्तर प्रदेश	492,803	1,825	96	494,724
35	उत्तराखंड	43,465	153	12	43,630
36	पश्चिम बंगाल	245,944	1,274	98	247,316
कुल:-		**6,110,380**	**17,672**	**1,190**	**6,129,242**

**दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई*